पंजीकृत कार्यालयः आईएफसीआई टॉवर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली - 110 019
सीआईएनःL74899DL1993GOI053677
ई-मेल:complianceofficer@ifciltd.com; वेबसाइट: www.ifciltd.com
टेलीफोन: 91-(011)- 4173 2000, फैक्स: 91- (011)- 2623 0201

आईएफसीआई लिमिटेड
की
असाधारण महासभा

दिन	:	बुधवार
दिनांक	:	20 मई, 2020
समय	:	प्रातः 11:30 बजे
स्थान		सभागार, पहली मंजिल आईएफसीआई टावर 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली - 110 019 (वीसी/ओएओएम की मार्फत)

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आईएफसीआई लिमिटेड के सदस्यों की असाधारण महासभा बुधवार, दिनांक 20 मई, 2020 को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) वीडियो कान्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) सुविधा की मार्फत सभागार, पहली मंजिल, आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019 में निम्नलिखित कारोबार के संव्यवहार के लिए आयोजित की जाएगीः

विशेष कारोबारः

मद संख्या 1: भारत सरकार को अधिमान्य आबंटन की मार्फत 200 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर जारी करना

निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना एवं यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधन (संशोधनों) के साथ अथवा उनके बिना, विशेष संकल्प (संकल्पों) के रूप में पारित करनाः

"संकल्प किया जाता है कि कम्पनी (प्रतिभूतियों के प्रविवरण तथा आबंटन) नियमावली, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 42, 62 तथा लागू अन्य उपबन्धों, यदि कोई हों, कम्पनी (शेयर पूंजी व डिबेंचर) नियमावली, 2014 (समय-समय पर लागू किसी सांविधिक आशोधन (आशोधनों) या उनके पुनः अधिनियमन सहित), भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम तथा प्रकटन अपेक्षाएं) नियमावली, 2009 (आईसीडीआर नियमावली) के उपबन्धों, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (शेयरों का महत्वपूर्ण अधिग्रहण व अधिकार में लेना) नियमावली, 2011, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (आन्तरिक लेन-देन निषेध) नियमावली, 2015, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमवली, 2015 (सूचीकरण विनियमावली) के उपबन्ध, प्रत्येक यथासंशोधित, अन्य कोई लागू विधि, नियम एवं विनियम तथा कम्पनी के ज्ञापन और संगम अनुच्छेद के लागू उपबन्धों और कम्पनी द्वारा बीएसई लिमिटेड (बीएसई) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लि. (एनएसई) के साथ किए गए इक्विटी सूचीकरण करारों और उपयुक्त सांवधिक/नियामक प्राधिकरणों के आवश्यक

अनुमोदनों/मंजूरियों/अनुमतियों, जो भी लागू हों, की शर्त के अधीन, तथा इनमें से किसी के द्वारा ऐसे अनुमोदन/मंजूरियां देते समय निर्धारित की जानी वाली शर्तों के अधीन और कम्पनी के निदेशक बोर्ड (जिसे इसमें आगे बोर्ड कहा जाएगा और जिसके अन्तर्गत कोई समिति/समितियां भी शामिल समझी जाएंगी, जिसे बोर्ड ने इस संकल्प द्वारा बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने के लिए गठित किया हो या गठित किया जा सकता हो) द्वारा यथा सहमत शर्तों पर, कम्पनी के प्रत्येक 10/- रुपए (दस रुपए) के अंकित मूल्य वाले 20,00,00,000 (बीस करोड़) इक्विटी शेयर, भारत सरकार को 10/- रुपए (दस रुपए) प्रति इक्विटी शेयर के मूल्य पर कुल मिलाकर 20,00,00,000 रुपए (बीस करोड़ रुपए) के अधिमान्य आबंटन आधार पर सृजित करने, निर्गम करने, पेश करने और आबंटन करने के लिए बोर्ड को सदस्यों की सहमति एतद्द्वारा प्रदान की जाए और एतद्द्वारा प्रदान की जाती है ।

यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयर सभी प्रकार से कम्पनी के विद्यमान इक्विटी शेयरों के समरूप माने जाएंगे ।

यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को आवश्यक आवेदन करने और आवश्यक समझे गए अन्य सभी प्रयास करने और भारत सरकार को आबंटित किए जाने वाले इक्विटों शेयरों के सूचीकरण के सम्बन्ध में बीएसई और एनएसई तथा डिपाजिटरीज अर्थात् नेशनल सिक्युरीटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सेन्ट्रल डिपाजिटरी सर्विसिज (इण्डिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) तथा भारत सरकार के डीमेट खाते में इन इक्विटी शेयरों को क्रेडिट करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।

यह भी संकल्प किया जाता है कि आईसीडीआर विनियमावली के उपबन्धों के अनुसार उक्तानुसार जारी तथा आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों का मूल्य निर्धारण करने के उद्देश्य से "प्रासंगिक तारीख" 20 अप्रैल, 2020 होगी, जो इन इक्विटी शेयरों को जारी करने के अनुमोदन हेतु 20 मई, 2020 को होने वाली असाधारण महासभा की तारीख से 30 (तीस) दिन पूर्व की तारीख है ।

यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से बोर्ड को ऐसे सभी कार्य, कृत्य और काम करने तथा आवश्यक या समीचीन समझे जाने वाले कार्य, उचित या वांछनीय, या उक्त शेयरों को जारी करने से सम्बन्धित किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका के समाधान हेतु और आवश्यक, वांछनीय और व्यवहारिक सभी दस्तावेजों और लिखतों को अन्तिम रूप देने तथा निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।"

निदेशक बोर्ड के आदेशानुसार
(रूपा सरकार)
कम्पनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय
आईएफसीआई टावर
61 नेहरु प्लेस
नई दिल्ली - 110 019
सीआईएनः L74899DL1993GOI053677
टेलीफोनः011-41732000
फैक्सः 011-26230201
वेबसाइटः www.ifciltd.com
ई-मेलः complianceofficer@ifciltd.com

दिनांकः 20 अप्रैल, 2020

टिप्पणियां:

1. **कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 08 अपैल, 2020 के परिपत्र संख्या 14/2020 के अनुसरण में असाधारण महासभा में सदस्यों के लिए प्राक्सी को नियुक्त करने और उनके स्थान पर वोट करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तथापि निगमित निकाय वीसी/ओएवीएम की मार्फत असाधारण महासभा में भाग लेने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने और ई-वोटिग की मार्फत उस समय भाग लेकर अपना वोट देने के पात्र हैं।**

2. कोविड-19 महामारी के भारी संक्रमण, सामाजिक दूरी की पूर्व अपेक्षा तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 08 अप्रैल, 2020 के परिपत्र संख्या 14/2020 को ध्यान में रखते हुए, असाधारण महासभा के स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति अपेक्षित नहीं है। अतः सदस्यों को वीसी/ओएवीएम की मार्फत आगामी असाधारण महासभा में भाग लेना होगा।

3. वे शेयरधारक, जिनके ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं, वे आरएण्डएसटीए के रिकार्ड में पंजीकृत नाम, पते, ई-मेल आईडी, पैन, डीपीआईडी/क्लायंट आईडी या फोलियो नम्बर तथा उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या का उल्लेख करते हुए अपने ई-मेल आईडी रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास admin@mcsregistrars.com; helpdeskdelhi@mcsregistrars.com पर पंजीकृत करा सकते हैं।

4. सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले वीसी/ओएवीएम द्वारा असाधारण महासभा में भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से असाधारण महासभा में भागीदारी की सुविधा 1000 सदस्यों के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या इससे अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध

समिति, लेखा परीक्षक शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रतिबंध के बिना असाधारण महासभा मे उपस्थित होने की अनुमति है ।

5. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से असाधारण महासभा में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अधीन कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

6. सदस्यों को बैठक के दौरान प्रश्न करने की अनुमति होगी। प्रश्नों को अग्रिम रूप से complianceofficer@ifciltd.com, या compliance.dept@ifciltd.com पर भेजा जा सकता है।

7. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के उपबन्धों के अनुसरण में मद संख्या 1 के अन्तर्गत महत्वपूर्ण तथ्यों से सम्बन्धित विवरण इसके साथ संलग्न हैं ।

8. असाधारण महासभा के आयोजन के लिए सूचना में संदर्भित सभी दस्तावेज एवं व्याख्यात्मक विवरण कम्पनी की वेबसाइट पर सदस्यों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं ।

9. कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (यथासंशोधित) के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम की धारा 108 के उपबन्धों और सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमवली, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में कम्पनी असाधारण महासभा में किए जाने वाले कारोबार के सम्बन्ध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है । इस उद्देश्य से कम्पनी से सेन्ट्रल डिपाजिटरी सर्विसिज (इण्डिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को प्राधिकृत एजेंसी के रूप में इलैक्ट्रानिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए करार किया है । सदस्य द्वारा रिमोट ई-वोटिंग पद्धति द्वारा वोट करने तथा असाधारण महासभा की तारीख को स्थल पर वोटिंग के लिए सुविधा सीडीएसएल द्वारा प्रदान की जाएगी ।

10. कारपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के परिपत्र संख्या 17/2020 के अनुरूप, असाधारण महासभा के आयोजन की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.ifciltd.com पर अपलोड कर दी गई है । यह सूचना स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः **www.bseindia.com** तथा **www.nseindia.com** पर तथा असाधारण महासभा की सूचना सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com (रिमोट वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी) पर भी उपलब्ध है ।

11. यह असाधारण महासभा कारपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 08 तथा 13 अप्रैल, 2020 के सामान्य परिपत्रों संख्या क्रमशः 14/2020 तथा 17/2020 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से की जा रही है ।

रिमोट ई-वोटिंग से मतदान करने के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि रविवार, 17 मई, 2020 को प्रातः 9.00 बजे से आरम्भ होगी और मंगलवार, 19 मई, 2020 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी । तत्पश्चात् सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉडयूल बंद कर दिया जाएगा ।

(i) शेयरधारक ई-वोटिंग वेबसाइट अर्थात् www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें ।

(ii) अपना वोट डालने के लिए शेयरहोल्डर्स/मैम्बर्स बटन पर क्लिक करें ।

(iii) अब अपना यूजर आईडी डालें

क. सीडीएसएल के लिएः शेयरधारक16 डिजिट का अपना आईडी डालें,

ख. एनएसडीएल के लिएः 8 वर्णों का डीपी आईडी और 8 अंकों का क्लायंट आईडी डालें,

ग. भौतिक रूप से शेयर धारित करने वाले सदस्य कम्पनी में पंजीकृत

अपना फोलियो नम्बर डालें ।

(iv) इसके उपरांत यथाप्रदर्शित इमेज वेरिफिकेशन की प्रविष्टि करें और लॉगइन पर क्लक करें ।

(v) यदि आपके पास डीमैट के रूप में शेयर हैं और आपने www.evotingindia.com पर पहले भी लॉग ऑन किया है और इससे पहले किसी और कम्पनी की वोटिंग की है तो आपको अपना मौजूदा पासवर्ड ही इस्तेमाल करना होगा ।

(vi) यदि आप पहली बार ई-वोटिंग का प्रयोग कर रहे हैं तो नीचे बताया गया तरीका अपनाएं:

	डीमैट रूप और भौतिक रूप से शेयर धारित करने वाले सदस्यों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 वर्णों व अंकों वाला पैन नम्बर डालें (डीमैट शेयरधारक और भौतिक शेयरधारक दोनों के लिए लागू) • जिन सदस्यों ने अपना पैन कम्पनी/डिपाजिटरी भागीदार के पास अद्यतन नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे पैन फील्ड में अपने नाम के पहले दो वर्णों और डीमैट खाते/फोलियो संख्या के अन्तिम आठ अंकों का इस्तेमाल करें (ई-मेल पर दी गई क्रम संख्या को देखें) • यदि अनुक्रमांक 8 अंकों से कम है तो बड़े अक्षरों में नाम के पहले दो वर्णों के बाद संख्या से पूर्व अपेक्षित संख्या में शून्य डालें । उदाहरण के तौर पर यदि आपका नाम रमेश कुमार है और अनुक्रमांक संख्या 1 है तो आप पैन फील्ड में आरए00000001 की प्रविष्टि करें ।
लाभांश	आपके डीमेट खाते में दिए गए रिकार्ड के अनुसार अथवा कम्पनी में रखे

बैंक विवरण/जन्म तिथि	गए रिकार्डों के अनुसार लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष) की प्रविष्टि करें। • यदि दोनों विवरण डिपाजिटरी या कम्पनी के पास रिकार्ड नहीं किए गए तो कृपया ऊपर निर्दिष्ट अनुदेश (iii) में यथानिर्दिष्ट लाभांश बैंक विवरण में सदस्यता आईडी अथवा फोलियो नम्बर की प्रविष्टि करें ।

(vii) इन विवरणों की उपयुक्त रूप से प्रविष्टि करने के बाद "सबमिट" बटन पर क्लिक करें ।

(viii) भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य सीधे तौर पर कम्पनी की चयन स्क्रीन पर जाएंगे । तथापि, डीमेट रूप से शेयर धारित करने वाले सदस्य अब "पासवर्ड क्रिएशन" मैन्यू में जाएंगे, जहां उन्हें अनिवार्य रूप से नए पासवर्ड फील्ड में अपना लॉगइन पासवर्ड डालना होगा । कृपया नोट करें कि इस पासवर्ड का इस्तेमाल केवल डीमेट धारकों द्वारा ही किसी अन्य कम्पनी के संकल्पों के लिए वोट देने के लिए भी किया जा सकता है, बशर्ते कि वह कम्पनी सीडीएसएल प्लेटफार्म के जरिए ई-वोटिंग का विकल्प अपनाए । इस बात की दृढ़ता से सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए पूरी सावधानी बरतें ।

(ix) भौतिक रूप से शेयर धारित करने वाले सदस्य, इस सूचना में निर्दिष्ट संकल्पों पर केवल ई-वोटिंग के लिए इन विवरणों का उपयोग कर सकते हैं ।

(x) वोट देने के लिए आईएफसीआई लि. के ईवीएसएन पर क्लिक करें ।

(xi) वोटिंग पृष्ठ पर आपको "रेजुल्युशन डिस्क्रप्शन" दिखाई देगा और उसके सामने वोट देने के लिए आपको "हां/नहीं" का विकल्प दिखाई देगा । अपनी इच्छा के अनुसार "हां " अथवा "नहीं" का विकल्प चुनें । हां विकल्प का अर्थ होगा कि आप संकल्प से सहमत हैं और नहीं विकल्प का अर्थ होगा कि आप संकल्प से सहमत नहीं हैं ।

(xii) यदि आप समग्र संकल्प विवरण देखना चाहते हैं तो "रेजुल्युशन्स फाइल लिंक " पर क्लिक करें ।

(xiii) संकल्प का चयन करने के बाद आपने वोट करने का निर्णय किया है तो "सबमिट " बटन पर क्लिक करें । तब आपको एक पुष्टि बॉक्स दिखाई देगा । यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो "ओके" बटन पर क्लिक करें और यदि आप वोट बदलना चाहते हैं तो "कैंसल" पर क्लिक करें और तद्नुसार अपने वोट में संशोधन करें ।

(xiv) एक बार संकल्प पर अपने वोट को "कन्फर्म" करने के बाद आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी ।

(xv) आप वोटिंग पेज पर "क्लिक हेयर टू प्रिंट" बटन पर क्लिक करके अपने द्वारा दिए गए वोट का प्रिंट भी ले सकते हैं ।

(xvi) यदि डीमेट खाताधारक अपना बदला हुआ लॉगइन करने का पासवर्ड भूल गया हो तो यूजर आईडी तथा इमेज वेरिफिकेशन कोड एन्टर करें और फोरगेट पासवर्ड पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा पूछे गए विवरण दें ।

(xvii) शेयरधारक एनड्रायड मोबाइल पर उपलब्ध सीडीएसएल की मोबाइल एप एम-वोटिंग का उपयोग करते हुए भी अपना वोट डाल सकते हैं । एम-वोटिंग एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है । एप्पल तथा विंडोज प्रयोगकर्ता इस एप को क्रमशः एप स्टोर तथा विंडोज फोन स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं । कृपया अपने मोबाइल पर वोट देते समय मोबाइल एप पर प्रदर्शित अनुदेशों का पालन करें ।

(xviii) व्यक्तिगत शेयरधारकों से भिन्न शेयरधारकों तथा अभिरक्षकों के लिए टिप्पणीः

- व्यक्तिगत शेयरधारकों से भिन्न शेयरधारकों (अर्थात् किसी व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, गैर निवासी भारतीय आदि को छोड़कर) तथा अभिरक्षक के

लिए यह अपेक्षित हैं कि वे www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें और कारपोरेट के रूप में स्वयं को पंजीकृत करें ।

- संस्था को हस्ताक्षरित तथा मुहर लगे पंजीकरण प्रपत्र की एक स्कैन की गई प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल करनी होगी ।

- लॉग-इन विवरण प्राप्त करने के बाद एडमिन लॉग-इन का प्रयोग करते हुए एक अनुपालन प्रयोक्ता का सृजन करना होगा । अनुपालन प्रयोक्ता उन्हें उस खाते (खातों) के साथ जोड़ेगा, जहां वे वोट करना चाहता है ।

- खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल से भेजनी होगी और जिससे वे खातों के अनुमोदन के बाद अपना वोट डाल सकेंगे ।

- उन्हें बोर्ड संकल्प व मुख्तारनामे की स्कैन की गई एक प्रति सिस्टम में पीडीएफ फार्मेट में अपलोड करनी होगी, जिसे उन्होंने अभिरक्षक, यदि कोई हो, के पक्ष में जारी किया हो, ताकि पड़ताल करने वाला प्राधिकारी उसका सत्यापन कर सके ।

(xix) यदि कोई व्यक्ति नोटिस के प्रेषण के बाद कम्पनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और कम्पनी का सदस्य बनता है और निर्धारित तिथि अर्थात् बुधवार, 13 मई, 2020 की स्थिति अनुसार शेयर धारित करता है तो उसे ई-वोटिंग के लिए ऊपर निर्दिष्ट अनुदेशों का पालन करना होगा ।

- यदि ई-वोटिंग के सम्बन्ध में आपका कोई प्रश्न अथवा मुद्दा हो तो आप हैल्प सैक्शन के तहत www.evotingindia.com पर उपलब्ध "प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न" (एफएक्यू) अथवा ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल लिख सकते हैं ।

- उस व्यक्ति के विवरण, जिससे इलेक्ट्रानिक रूप से वोटिंग की सुविधा से सम्बन्धित किसी शिकायत के निवारण के लिए सम्पर्क किया जा सकता हैः

IFCI LIMITED
आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

श्री राकेश दलवी
उप प्रबन्धक
सेन्ट्रल डिपाजिटरी सर्विसिज (इण्डिया) लि.
ए विंग, 25वां तल, मैराथन फ्यचरेक्स
मफतलाल मिल कम्पाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग,
लोअर परेल (ईस्ट), मुम्बई - 400 013
ई-मेल आईडीः helpdesk.evoting@cdslindia.com
टोल फ्री नम्बरः 18002005533

असाधारण महासभा के दिन (स्थल पर वोटिंग) सरस्यों के लिए ई-वोटिंग के अनुदेश निम्नानुसार हैं -

1. स्थल पर वोट करने की कार्य-प्रक्रिया उसी प्रकार होगी जैसा कि रिमोट ई-वोटिंग के लिए उक्तानुसार अनुदेश दिए गए हैं ।

2. केवल वही सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा की मार्फत असाधारण महासभा में उपस्थित होंगे और उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए संकल्पों पर अपना वोट नहीं दिया है तथा उन्हें ऐसा करने से बाधित न किया गया हो, वे असाधारण महासभा में ई-वोटिंग प्रणाली की मार्फत वोट करने के पात्र होंगे ।

3. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट किया है वे असाधारण महासभा में उपस्थित होने तथा उसमें भाग लेने के पात्र होंगे । तथापि वे असाधारण महासभा में वोट करने के पात्र नहीं होंगे । यदि किसी सदस्य द्वारा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट कर दिया दिया गया है और वह स्थल पर पुनः वोटिंग करता है तो स्थल पर की गई उसकी वोटिंग को वैध नहीं माना जाएगा ।

4. सदस्यों से अनुरोध है कि असाधारण महासभा के दौरान स्थल पर वोटिंग के लिए दिए गए अनुदेशों, यदि कोई हों, का पालन करें ।

5. व्यक्ति के विवरण, जिसे ई-वोटिंग (स्थल पर वोटिंग) के लिए किसी प्रकार की शिकायत के लिए जोड़ा जाए, वह व्यक्ति वही होना चाहिए जिसका उल्लेख रिमोट ई-वोटिंग के लिए किया गया है ।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से असाधारण महासभा में भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं-

(20 मई, 2020 को स्थल पर होने वाली वोटिंग)

1. जिन सदस्यों के ई-मेल आईडी कम्पनी के पास पहले से पंजीकृत हैं और जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से असाधारण महासभा में भाग लेने के इच्छुक हैं, वे इसके लिए कम्पनी के रिकार्ड में पंजीकृत अपने नाम, डीपीआईडी/क्लांयट आईडी या फोलियो नम्बर और पंजीकृत ई-मेल आईडी का उल्लेख करते हुए असाधारण महासभा में भाग लेने के लिए **complianceofficer@ifciltd.com** पर आवेदन करके अनुरोध कर सकते हैं।

2. जो सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से असाधारण महासभा में भाग लेने के इच्छुक हैं और उनके ई-मेल आईडी कम्पनी के पास पंजीकृत नहीं हैं वे अपने ई-मेल आईडी रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट के पास admin@mcsregistrars.com, helpdeskdelhi@mcsregistrars.com, पर ई-मेल तथा निम्नलिखित पुष्टि करके पंजीकृत करा सकते हैं-

i. कम्पनी के रिकार्ड के अनुसार पंजीकृत नाम

ii. डीपीआईडी-क्लायंट आईडी/फोलियो नम्बर

iii. बैठक में भाग लेने के लिए पंजीकृत की जाने वाली ई-मेल आईडी

3. सदस्य पाइंट नं. **(2)** के लिए उक्त अनुरोध अधिकतम **14** मई, **2020** तक भेज सकते हैं। संयुक्त धारिता के मामले में प्रथम नाम धारक के पुष्टि प्रमाण स्वीकार किए जाएंगे।

4. जो सदस्य असाधारण महासभा में भाग लेना चाहते हैं वे अपने अनुरोध **16** मई, **2020** तक भेज सकते हैं। कम्पनी में सफल पंजीकरण होने के बाद असाधारण महासभा में भाग लेने का आमंत्रण सदस्यों को उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर अधिकतम **19** मई, **2020** तक भेज दिए जाएंगे। यह सुविधा पहले आओ पहले पाओ आधार पर, केवल **1000** सदस्यों के लिए सीमित, दी जाएगी।

5. सदस्य असाधारण महासभा (ईजीएम) में उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजे गए निमंत्रण लिंक का अनुवर्तन करके भाग ले सकते हैं। सदस्य मीटिंग आईडी / पासवर्ड / और जॉइन मीटिंग टैब का उपयोग करें। जॉइन मीटिंग पर क्लिक करके वे ब्राउज़र के माध्यम से या अस्थायी एप्लिकेशन चलाकर मीटिंग रूम में जा सकते हैं। बैठक में शामिल होने के लिए, निर्देशों का पालन करें और आवश्यक विवरण प्रदान करें (उक्त उल्लेखित-मीटिंग आईडी/पासवर्ड/ईमेल पता) और बैठक में शामिल हों। सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने की सलाह दी जाती है।

6. एंड्रॉइड/आईफोन कनेक्शन प्रयोग करने वाले, प्रतिभागियों को मेल में दिए गए अनुसार उपयुक्त एप्लिकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा। इस एप्लिकेशन को गूगल प्ले स्टोर/ एप्प स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

7. इसके अतिरिक्त मोबाइल ऐप पर मीटिंग सेट करते समय सदस्यों को, एप्प के अनुरूप कैमरा और इंटरनेट ऑडियो सेटिंग्स करने की आवश्यकता होगी।

8. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेटों से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो प्राप्त न होने का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए उचित वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

9. पात्र आवेदकों को इलेक्ट्रानिक माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रण के साथ हेल्पलाइन नम्बर भेजा जाएगा।

10. संस्थागत शेयरधारक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से असाधारण महासभा में भाग लेकर उस समय वोट कर सकते हैं।

अन्य सूचनाः

(क) कम्पनी के शेयरधारक, जिनके पास निर्धारित तारीख (अर्थात् बुधवार, 13 मई, 2020) को भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर हैं, केवल वही शेयरधारक अपना वोट असाधारण महासभा में वीसी/ओएवीएम की मार्फत रिमोट ई-वोटिंग या स्थल पर वोटिग करके, जैसी भी स्थिति हो, डाल सकते हैं । जो व्यक्ति निर्धारित तारीख को सदस्य नहीं है वह इस नोटिस को केवल सूचनार्थ मान सकते हैं ।

(ख) रिमोट ई-वोटिंग की अवधि रविवार, 17 मई, 2020 को प्रातः 9:00 बजे (आईएसटी) से आरम्भ होगी और मंगलवार, 19 मई, 2020 सायं 5:00 बजे समाप्त होगी । इसके बाद वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को सीडीएसएल द्वारा बंद कर दिया जाएगा ।

(ग) जो सदस्य असाधारण महासभा से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट दे चुके हैं वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से केवल असाधारण महासभा में भाग ले सकते हैं परंतु वे अपना वोट पुनः डालने के पात्र नहीं होंगे ।

(घ) शेयरधारक मतदान के लिए केवल एक ही तरीका अपना सकते हैं अर्थात् वीसी/ओएवीएम के माध्यम से असाधारण महासभा में रिमोट ई-वोटिंग या स्थल पर वोटिंग । दोनों तरीकों से वोट देने के मामले में रिमोट ई-वोटिंग की मार्फत दिए गए वोट को अन्तिम वोट माना जाएगा और वीसी/ओएवीएम की मार्फत की गई ई-वोटिंग पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(ङ.) निदेशक बोर्ड ने मैसर्स संजय ग्रोवर एण्ड एसोसिएट्स के श्री देवेश वशिष्ट को (सदस्यता संख्या एफ8488, सीओपी 13700), प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव, नई दिल्ली तथा उनके बाद सुश्री प्रियंका (सदस्यता संख्या ए41459, सीओपी 16187), प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव, नई दिल्ली को असाधारण महासभा में रिमोट ई-वोटिंग तथा ई-वोटिंग की समीक्षा निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से

करवाने तथा उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है ।

(च) संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कम्पनी की वेबसाइट www.ifciltd.com, सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर तत्काल प्रदर्शित किया जाएगा और परिणाम घोषित होने के बाद इसे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा ।

(छ) जिन सदस्यों के पास इक्विटी शेयर भौतिक रूप में है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने पते में हुए परिवर्तन, यदि कोई हो, के बारे में रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लि., एफ-65, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली - 110 020 को अपना पंजीकृत फोलियो नम्बर बताते हुए शीघ्र सूचित करें । डीमेट रूप में धारित शेयरों के सम्बन्ध में पते में परिवर्तन की सूचना सम्बन्धित डिपाजिटरी भागीदार को दी जानी अपेक्षित है ।

(ज) जिन सदस्यों के पास एक ही नाम से एक से अधिक फोलियो हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने शेयर प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट को भेजें ताकि उनकी धारिता को एक ही फोलियो में समेकित किया जा सके और उन्हें बेहतर सेवा प्रदान की जा सके ।

(झ) निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 के अनुसार असाधारण महासभा के आयोजन की सूचना उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से भेज दी जाएगी जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी / डिपाजिटरी भागीदार के पास पंजीकृत हैं । इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की अन्य सूचना को कम्पनी की वेबसाइट www.ifciltd.com पर दिया जाएगा ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 1

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने 2019-20 के बजटीय आबंटन के अनुसार आईएफसीआई लिमिटेड को कम्पनी की शेयर पूंजी के अभिदान के रूप में 200 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की है। भारत सरकार द्वारा पूंजी के रूप में इस निधियों का नियोजन बाजार में सकारात्मकता तथा सुदृढ़ता प्रदान करेगा और तुलन-पत्र को सुधारने के लिए कम्पनी को संसाधन जुटाने में सहायक होगा।

कम्पनी निजी धारिता के माध्यम से जुटाई गई राशि का उपयोग नहीं कर सकती जब तक कि इनका आबंटन न हो और आबंटन के विवरण कम्पनी रजिस्ट्रार के पास दर्ज न कराए गए हों।

शेयरधारकों को उपलब्ध कराए जाने वाले प्रकटनों को अधिमान्य आबंटन से सम्बन्धित व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ सम्बद्ध असाधारण महासभा के नोटिस में दिए गए हैं, जो निम्नानुसार हैः

क्रम संख्या	विवरण	ब्योरा
1.	अधिमान्य निर्गम के उद्देश्य तथा बोर्ड संकल्प पारित होने की तारीख	अपेक्षित पूंजी पर्याप्तता बनाए रखते हुए कम्पनी के कारोबार विकास में वृद्धि, बोर्ड ने दिनांक 20 अप्रैल, 2020 को हुई अपनी बैठक में, शेयरधारकों के अनुमोदन की शर्त के अधीन, भारत सरकार को इक्विटी शेयरों के अधिमान्य निर्गम को अनुमोदित किया।
2.	जारी की जाने वाली	2,00,00,000 रुपए (दो करोड़ रुपए) की राशि के

<table>
<tr><td></td><td>कुल/विशिष्ट प्रतिभूतियों की अधिकतम संख्या और कुल राशि जो कम्पनी इस निर्गम से जुटाने की इच्छुक है</td><td>प्रत्येक 10/- रुपए के अंकित मूल्य वाले 20,00,00,000 (बीस करोड़) इक्विटी शेयर</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>व्यक्ति की श्रेणी जिसे आबंटन किया जाना प्रस्तावित है</td><td>इक्विटी का आबंटन कम्पनी के प्रवर्तक अर्थात् भारत सरकार को किया जाना प्रस्तावित है ।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>प्रस्ताव को अभिदत्त करने के लिए जारीकर्ता के प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिकों के प्रस्ताव</td><td>कम्पनी के प्रवर्तक अर्थात् भारत सरकार को 200 करोड़ रुपए की राशि तक अधिमान्य आधार पर इक्विटी शेयर जारी करने का प्रस्ताव । कम्पनी के निदेशकों या प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिकों का प्रस्ताव को अभिदत्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>अधिमान्य निर्गम से पूर्व और इसके पश्चात् जारीकर्ता का शेयरधारिता पैट्रन</td><td>अधिमान्य निर्गम से पूर्व शेयरधारिता पैट्रन
31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही के अनुसार शेयरधारिता पैट्रन निम्नानुसार हैः
<table>
<tr><th>श्रेणी</th><th>इक्विटी शेयरों की संख्या</th><th>इक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिशत</th></tr>
<tr><td colspan="3">प्रवर्तक शेयरधारिता</td></tr>
<tr><td>भारतीयः
भारत सरकार</td><td>95,69,55,857</td><td>56.42</td></tr>
<tr><td>जन साधारण</td><td>----</td><td>----</td></tr>
<tr><td>निगमित निकाय</td><td>----</td><td>----</td></tr>
<tr><td>उप जोड़</td><td>95,69,55,857</td><td>56.42</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		विदेशी प्रवर्तक	----	----
		उप जोड़ (क)	95,69,55,857	56.42
		गैर प्रवर्तक धारिता		
		संस्थागत निवेशक	19,63,53,653	11.58
		गैर-संस्थागत		
		निजी निगमित निकाय	5,73,39,062	3.38
		निदेशक व सम्बन्धी	----	----
		भारतीय जनता	41,38,41,581	24.40
		अन्य	7,15,02,939	4.22
		जोड़	169,59,93,092	100.00
		अधिमान्य निर्गम के बाद शेयरधारिता पैट्रन 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही के अनुसार शेयरधारिता पैट्रन निम्नानुसार हैः		
		श्रेणी	इक्विटी शेयरों की संख्या	इक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिशत
		प्रवर्तक शेयरधारिता		
		भारतीयः भारत सरकार	115,69,55,857	61.02
		जन साधारण	----	----

		निगमित निकाय	----	----
		उप जोड़	115,69,55,857	61.02
		विदेशी प्रवर्तक	----	----
		उप जोड़ (क)	115,69,55,857	61.02
		गैर प्रवर्तक धारिता		
		संस्थागत निवेशक	19,63,53,653	10.36
		गैर प्रवर्तक धारिता		
		निजी निगमित निकाय	5,73,39,062	3.02
		निदेशक व सम्बन्धी	----	----
		भारतीय जनता	41,38,41,581	21.83
		अन्य	7,15,02,939	3.77
		जोड़	189,59,93,092	100.00
6.	अधिमान्य निर्गम पूरा होने की अवधि	कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी आईसीडीआर विनिमयों के अनुसरण में इक्विटी शेयरों का आबंटन निम्नलिखित अवधि में किया जाएगाः - कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 (प्रतिभूतियों का निजी धारण) के उपबन्धों के अनुसार शेयर आवेदन राशि की प्राप्ति के 60 दिनों के अंदर या;		

		- कम्पनी के शेयरधारकों द्वारा भारत सरकार को इक्विटी शेयरों के आबंटन के अनुमोदन का विशेष संकल्प पारित होने के 15 दिन के अंदर और ऐसा कोई अन्य अनुमोदन, जो पहले हो, जो इस सम्बन्ध में लिया जाना लेना अपेक्षित है।
7.	स्वाभाविक व्यक्तियों की पहचान जो प्रस्तावित शेयर आबंटन से वास्तविक रूप से लाभान्वित होंगे और/या उनके द्वारा धारित अधिमान्य निर्गम के पश्चात् पूंजी का प्रतिशत तथा अधिमान्य निर्गम के परिणामस्वरूप जारीकर्ता के नियंत्रण में परिवर्तन, यदि कोई हो।	शेयर कम्पनी के प्रवर्तक अर्थात् भारत सरकार को आबंटित किए जाने प्रस्तावित हैं और ये शेयर भारत के राष्ट्रपति के नाम पर धारित होंगे। इक्विटी शेयरों के आबंटन के पश्चात् कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 61.02% भारत सरकार के पास होगा। तथापि, प्रस्तावित आबंटन के पश्चात् कम्पनी के नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
8.	वचनपत्र कि इन विनियमों के उपबन्धों की शर्तों के अनुसार, जहां यह करना अपेक्षित हो, जारीकर्ता विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की पुनः गणना करेगा।	लागू नहीं।
9.	वचनपत्र कि यदि आईसीडीआर विनियमों में निर्धारित अवधि के दौरान पुनः गणना की गई राशि का भुगतान नहीं किया	लागू नहीं।

	जाता तो विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां ऐसे समय तक , जब तक आबंटियों द्वारा भुगतान न किया जाए, अवरुद्ध रहेंगी।	
10.	आईसीडीआर विनियमों की अनुसूची-VI में विनिर्दिष्ट प्रकटन, यदि जारीकर्ता या इसके किसी प्रवर्तक या निदेशक ने जानबूझ कर कोई चूक की है।	लागू नहीं
11.	इस बात पर विचार करते हुए कि प्रस्तावित अधिमान्य निर्गम आईसीडीआर विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप जारी किया गया है, को प्रमाणित करते हुए शेयरधारकों की महासभा के समक्ष सांविधिक लेखा-परीक्षकों के प्रमाणपत्र की प्रति रखना।	वीसी/ओएवीएम की मार्फत इलेक्ट्रोनिक माध्यम से आयोजित शेयरधारकों की महासभा के समक्ष सांविधिक लेखा-परीक्षकों का प्रमाणपत्र रखा जाएगा।
12.	निर्गम का मूल्य	ये इक्विटी शेयर भारत सरकार से बैंकिंग चैनल द्वारा शेयर आवेदन राशि के रूप में राशि प्राप्त होने पर जारी किए जाएंगे।
13.	पंजीकृत मूल्यांकक की	लागू नहीं

	मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ नकदी के अलावा मूल्य के लिए किए जाने वाले प्रस्तावित आबंटन का औचित्य	
14.	मूल्य तक पहुंचने के आधार	आईसीडीआरविनियमावलीके विनियम 164 तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबन्धों के अनुसार।
15.	आईसीडीआर विनियमावली के अनुसार गणना किए गए मूल्य व उचित तारीख	उचित तारीख सोमवार, 20 अप्रैल, 2020 (अर्थात् 20 मई, 2020 को होने वाली असाधारण महासभा की तारीख से 30 दिनपूर्व) है । आईसीडीआर विनियमावली के विनियम 164 के अनुसार गणन किया गया मूल्य 6.08 रुपए प्रति शेयर है। तथापि आईसीडीआर विनियम के अनुसार गणन किया गया मूल्य इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य अर्थात् 10/- रुपए से कम है, अतः अधिनियम की धारा 53 के अनुसार शेयरों को छूट पर जारी करने से रोकने के लिए बोर्ड ने भारत सरकार को अधिमान्य निर्गम के रूप में 10/- रुपए प्रति शेयर के मूल्य का अनुमोदन किया।
16.	उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें वर्ष के दौरान पहले ही अधिमान्य आधार पर आबंटन किया गया है, प्रतिभूतियों की संख्या व उसका मूल्य	वर्ष के दौरान कम्पनी ने अन्य कोई अधिनियम निर्गम जारी नहीं किया है।

कम्पनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिक या उनका सम्बन्धी इस संकल्प से वित्तीय रूप से या अन्य किसी प्रकार से समम्द्ध या हितबद्ध नहीं है, सिवाय सरकारी नामित निदेशकों के रूप में उनकी आधिकारिक हैसियत के अतिरिक्त, कोई व्यक्तिगत हित नहीं है।

आपके निदेशक सदस्यों से इस विशेष संकल्प का अनुमोदन करने की सिफारिश करते हैं।

निदेशक बोर्ड के आदेशानुसार

(रूपा सरकार)
कम्पनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय
आईएफसीआई टावर
61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली - 110 019
सीआईएनः L74899DL1993GOI053677
टेलीफोनः011-41732000, फैक्सः 011-26230201
वेबसाइटः www.ifciltd.com
ई-मेलः complianceofficer@ifciltd.com

असाधारण महासभा स्थल का मानचित्र और प्रसिद्ध लेंडमार्क व उपस्थिति पर्ची

देश में फैली कोविड-**19** की महामारी के परिणामस्वरूप, असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने अपने परिपत्र संख्या **14/2020** द्वारा यह स्पष्ट किया है कि वर्तमान परिपेक्ष्य में सामाजिक दूरी पूर्व-अपेक्षा है और महासभाओं **(**एसएस-**2)** पर सचिवीय मानकों की प्रयोज्यता के संदर्भ में दिनांक **15** अप्रैल, **2020** के स्पष्टीकरण/दिशानिर्देश के अनुसार कम्पनी सभागार, प्रथम मंजिल, आईएफसीआई टावर, **61** नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-**19** में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से असाधारण महासभा आयोजित करेगी । कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार यह बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है और स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति अपेक्षित नहीं है और असाधारण महासभा की कार्यवाही बैठक के स्थल पर की गई मानी जाएगी ।